[Shri Ripun Bora]

There are more than 1000 tea gardens in Assam, and nearly 14 lakh tea garden labourers are earning their livelihood from these tea gardens. Sir, you know that during these sky-rocketing prices days, the tea garden labourers are paid only ₹ 160 a day which is a very, very meagre amount when compared to the whole country. Even the States also have their own minimum wages. But, in Assam, in the year 2016, when Congress Government was there, ₹ 351 had been fixed as daily wages for tea garden labourers there, and later on, it was approved by the wage board also. But, subsequently, Sir, in the year 2016, the new Government of BJP came to power in Assam. Now, three years of that Government have passed, but, ₹ 351 as daily wages for the tea garden labourers has not been implemented simply on the ground that the management groups have filed an application to the Government saying that it is not economically feasible. So, the Government is taking the side of the management group and it has not implemented it yet. Sir, earlier also, the Government of India had declared some economic packages, when the tea gardens faced such types of problems. So, my humble submission to the Government is that if the Government of Assam is facing fund crisis, then the Central Government should give a special package to resolve the plight of the tea garden labourers. In today's situation of high prices, it is impossible for them to make both ends meet on a daily wages of ₹ 167. So, my submission is that the Government should accept the proposal of ₹ 351 as daily wages to the tea labourers of Assam.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need to tackle the menace of adulterated milk

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, देश में जहरीले दूध का कारोबार बड़े पैमाने पर चलने के कारण देश के 130 करोड़ नागरिकों के जीवन को भारी खतरा पैदा हो गया है और स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय और भयानक हो गई है।

मान्यवर, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में दूध में जहरीली मिलावट को यदि कठोरता से नही रोका गया, तो वर्ष 2025 तक 87 प्रतिशत लोग कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों से जूझ रहे होंगे।

महोदय, एक सर्वेक्षण के अनुसार 31 मार्च, 2018 तक देश में 14 करोड़ 68 लाख लीटर्स दूध प्रतिदिन उत्पादित होता था और दूध की प्रतिदिन खपत 64 करोड़ लीटर्स से

ज्यादा थी, यानी दूध की खपत, उसके उत्पादन से चार गुना ज्यादा थी, अर्थात् प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर्स दूध जहरीले पदार्थों से बना हुआ, आप और हम सभी 130 करोड़ लोग पीते हैं।

महोदय, नकली दूध यूरिया, डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा, वेजिटेबल ऑयल, ग्लूकोज़, हाईपोक्लोराइट, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड और बोरिक एसिड आदि से तैयार किया जाता है। इसके कारण इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि उत्तर भारत में बहुत कम गांव ऐसे होंगे, जहां विषैले दूध का व्यापार नही हो रहा है।

मान्यवर, जहरीले दूध में लागत कम और फायदा अधिक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से दुग्ध उत्पादकों ने गाय और भैंस आदि दुधारू पशुओं के स्थान पर इस व्यवसाय को अधिक लाभकारी मानकर अपना लिया है। सभापति जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रसिद्ध branded कंपनियों का दूध भी हानिकारक पदार्थों से मुक्त नही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने branded कंपनियों की गुणवत्ता जानने के लिए एक सर्वेक्षण कराया, जिसमें 37.7 प्रतिशत नमूने मानक के विपरीत पाए गए।

महोदय, स्थिति अत्यंत भयानक है, अत: मैं आपके व सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देकर आपके, हमारे, सभी के लिए, 130 करोड़ लोगों की जान बचाने के लिए कुछ कारगर कदम उठाएं। जो लोग अपने आर्थिक लाभ के लिए 130 करोड़ लोगों की जान के लिए खतरा बन गए हैं, उनके इस कृत्य को संगीन अपराध मानकर कानून में मृत्यु दंड व आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए और जिस जिले में यह कारोबार चलता हुआ पाया जाए, इसके लिए उस जिले के Collector को पूरी तरीके से जिम्मेदार माना जाए। महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा (पंजाब): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

SHRI K. J. ALPHONS: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री राम नारायण डूडी : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री नारायण लाल पंचारिया : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्रीमती कान्ता कर्दम : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूं।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (असम): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री आर. के. सिन्हा (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (गुजरात): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री रणविजय सिंह जूदेव (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

लेफ्टिनेंट जनरल (डा.) डी. पी. वत्स (सेवानिवृत्त) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री सकलदीप राजभर : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

SHRI SURESH GOPI: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI M. SHANMUGAM: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI AHMAD ASHFAQUE KARIM: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

अन्य माननीय सदस्य: महोदय, हम भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करते हैं।

Difficulties in implementation of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 implemented from 1st September, 2019 was aimed at providing